(118)

सं० 11017/2/91-छात्रवृत्ति सेल

कल्याण मंत्रालय

....

नई दिल्ली, दिनांक 1-2-1994

सेवा में,

सचिव/निदेशक/आयुक्त,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण प्रभारी
(सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

विषय :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना-व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम हेतु पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि ।

संदर्भ :- पत्र सं० 11017/2/91-छात्रवृत्ति सेल दिनांक 24.7.1992

महोदय/महोदया,

इस समय व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (सी.पी.एल) प्रशिक्षण, जो उपर्युक्त योजना के समूह "ख" के अंतर्गत शामिल है के लिए प्रतिवर्ष 15 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती है । यह निर्णय लिया गया है कि 1994-95 तथा इसके बाद सी.पी.एल. के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में प्रतिवर्ष 20 तक की वृद्धि की जाएगी ।

2. जैसा कि अभी प्रचलित है आवेदन पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे इस योजना के अंतर्गत पात्रता के निर्धारण हेतु इनकी जांच करें, इसके बाद वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सी.पी.एल. प्रशिक्षण के लिए आवेदकों की संख्या (नाम सहित) के बारे में कल्याण मंत्रालय को सूचित करें (आवेदन पत्र मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है) इस प्रकार की सूचना के प्राप्त होने पर, कल्याण मंत्रालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहले आओ-पहले पाओ आधार पर पूरे देश में 20 छात्रवृत्तियों को स्वीकृत प्रदान करेगा ।

3. चुने गये उम्मीदवारों को समूह "ख" पाठ्यक्रमों के लिए प्रचलित दरों पर अर्थात् होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए प्रति माह 190 रुपये और दिवा छात्रों के लिए प्रतिमाह 125 रुपये अनुरक्षण भत्ते प्रदान किये जाते हैं । इसके अलावा संपूर्ण अनिवार्य शुल्क जिसमें हवाई उड़ान शुल्क भी शामिल है, उपलब्ध कराया जाएगा ।

....2/-